



IMMEDIATE

Receipt No. 4517
Secretary
11-09-2024

**File No. 15/1/2023-Public
Government of India
Ministry of Home Affairs
(Public Section)**

North Block, New Delhi - 01.
Dated: 09th August, 2024

09 AUG 2024

To
**The Chief Secretaries/ Administrators of
All State Governments / UT Administrations,
Secretaries of all Ministries/Departments of Government of India.**

PS/LG/2024/2314-R
11/09/2024

Subject: Strict compliance of the provisions of Flag Code of India, 2002 [as amended in 2021 & 2022] and the Prevention of Insults to National Honour Act, 1971-reg.

Sir/ Madam,

I am directed to say that the Indian National Flag represents the hopes and aspirations of the people of our country and hence should occupy a position of honour. There is universal affection and respect for, and loyalty to, the National flag. Yet, a perceptible lack of awareness is often noticed amongst people as well as organizations/agencies of the Government, in regard to laws, practices and conventions that apply to display of the National Flag. Copy of 'The Prevention of Insults to National Honour Act, 1971' and 'Flag Code of India, 2002 [as amended in 2021 & 2022]' which governs the use/hoisting/display of National Flag, are available on this Ministry's website www.mha.gov.in.

2. As per clause (x) of Paragraph 2.2 of Part-II of the Flag Code of India, the National Flag made of paper may be waved by public on occasions of important national, cultural and sports events. You are requested to ensure that on the occasions of important national, cultural and sports events, Flags used by the public, made of paper are not discarded or thrown on the ground after the event. Such Flags are to be disposed of, in private, consistent with the dignity of the Flag.

3. You are also requested to undertake mass awareness programme in this regard and also to give it wide publicity through advertisements in the electronic and print media.

Encl: As above.

Yours faithfully,

(Debobroto Basu)
Under Secretary to the Government of India
Tel: 2309 2421

....2-

2/-

Copy to:

1. President's Secretariat, Rashtrapati Bhawan, New Delhi.
2. Vice – President's Secretariat, New Delhi.
3. Prime Minister's Office, South Block, New Delhi.
4. Cabinet Secretariat, New Delhi.
5. Office of all Governors.
6. Election Commission of India, New Delhi.
7. Lok Sabha Secretariat, New Delhi.
8. Rajya Sabha Secretariat, New Delhi.
9. Registrar, Supreme Court of India, New Delhi.
10. Registrar, all High Courts.
11. Office of Comptroller and Auditor General of India, New Delhi.
12. The Union Public Service Commission, New Delhi.
13. Central Vigilance Commission, New Delhi.
14. NITI Aayog, Yojana Bhawan, New Delhi.
15. All attached & Subordinate Offices of the Ministry of Home Affairs.
16. 5 Spare Copies.



(Debobroto Basu)

Under Secretary to the Government of India

Tel: 2309 2421

Salient Features of Flag Code of India, 2002

1. The Indian National Flag represents the hopes and aspirations of the people of India. It is the symbol of our national pride and there is universal affection and respect for, and loyalty to, the National Flag. It occupies a unique and special place in the emotions and psyche of the people of India.
2. The hoisting/use/display of the Indian National Flag is governed by the Prevention of Insults to National Honour Act, 1971 and the Flag Code of India, 2002. Some of salient features of the Flag Code of India, 2002 are listed below for the information of the public:-
 - a) The Flag Code of India, 2002 was amended vide Order dated 30th December, 2021 and National Flag made of polyester or machine made Flag have been allowed. Now, the National Flag shall be made of hand spun and hand woven or **machine made, cotton/polyester/wool/silk khadi bunting.**
 - b) A member of public, a private organization or an educational institution may hoist/display the National Flag on all days and occasions, ceremonial or otherwise, consistent with the dignity and honour of the National Flag.
 - c) The Flag Code of India, 2002 was amended vide Order dated 19th July, 2022 and clause (xi) of paragraph 2.2 of Part-II of the Flag Code of India was replaced by the following clause:-
 - (xi) **“where the Flag is displayed in open or displayed on the house of a member of public, it may be flown day and night;”**
 - d) The National Flag shall be rectangular in shape. The Flag can be of any size but the ratio of the length to the height (width) of the Flag shall be 3:2.
 - e) Whenever the National Flag is displayed, it should occupy the position of honour and should be distinctly placed.
 - f) A damaged or dishevelled Flag shall not be displayed.

(14)

-2-

- g) The Flag should not be flown from a single masthead simultaneously with any other flag or flags.
- h) The Flag should not be flown on any vehicle except of the dignitaries mentioned in Section IX of Part III of the Flag Code, such as President, Vice-President, Prime-Minister, Governors etc.
- i) No other flag or bunting should be placed higher than or above or side by side with the National Flag.

Note:- For further details, the Prevention of Insults to National Honour Act, 1971 and the Flag Code of India, 2002 are available on Ministry of Home Affairs' website www.mha.gov.in.

तत्काल

संख्या 15/1/2023-पब्लिक
भारत सरकार
गृह मंत्रालय
(पब्लिक अनुभाग)

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली -1
दिनांक: 09 अगस्त, 2024

सेवा में,

सभी राज्य सरकारों के मुख्य सचिव/
सभी संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक,
भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के सचिव।

विषय : भारतीय झंडा संहिता, 2002 [2021 एवं 2022 में यथासंशोधित] तथा राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 में अंतर्विष्ट नियमों के कड़ाई से पालन के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि राष्ट्रीय ध्वज हमारे देश के लोगों की आशाओं एवं आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है और इसलिए, इसे सम्मान की स्थिति मिलनी चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज के लिए एक सार्वभौमिक लगाव और आदर तथा वफादारी होती है। तथापि, राष्ट्रीय झंडे के संप्रदर्शन पर लागू होने वाले कानूनों, प्रथाओं तथा परंपराओं के संबंध में जनता के साथ-साथ भारत सरकार के संगठनों/एजेंसियों में भी जागरूकता का अभाव देखा गया है। राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 तथा भारतीय झंडा संहिता, 2002 [2021 एवं 2022 में यथासंशोधित], जो राष्ट्रीय ध्वज के प्रयोग/ध्वजारोहण/संप्रदर्शन को नियंत्रित करते हैं, की प्रति इस मंत्रालय की वेबसाइट www.mha.gov.in पर उपलब्ध हैं।

2. भारतीय झंडा संहिता के भाग-II के पैरा 2.2 की धारा (x) के अनुसार, जनता द्वारा कागज़ के बने राष्ट्रीय झंडों को महत्वपूर्ण राष्ट्रीय, सांस्कृतिक और खेलकूद के अवसरों पर हाथ में लेकर हिलाया जा सकता है। आपसे यह सुनिश्चित करने का अनुरोध है कि महत्वपूर्ण राष्ट्रीय, सांस्कृतिक और खेलकूद के अवसरों पर जनता द्वारा प्रयोग किये हुए कागज़ के बने राष्ट्रीय झंडों को समारोह के पूरा होने के पश्चात न तो विकृत किया जाए और न ही जमीन पर फेंका जाए। ऐसे झंडों का निपटान उनकी मर्यादा के अनुरूप एकान्त में किया जाए।

3. आपसे यह अनुरोध है कि कृपया इस संबंध में वृहद जागरूकता कार्यक्रम संचालित किए जाएं तथा इलैक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया में विज्ञापनों के माध्यम से वृहद प्रचार किया जाए।

संलग्नक - यथोपरि

भवदीय,

90/1/23

(देबोब्रतो बासु)
भारत सरकार के अवर सचिव
दूरभाष सं. 23092421

....2-

6

(6)

-2/

प्रति प्रेषित :-

1. राष्ट्रपति सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली ।
2. उप- राष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली ।
3. प्रधानमंत्री कार्यालय, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली ।
4. मंत्रिमंडल सचिवालय, नई दिल्ली ।
5. सभी राज्यपालों के कार्यालय।
6. भारत का निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली ।
7. लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली ।
8. राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली ।
9. रजिस्ट्रार, भारत का उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली ।
10. सभी उच्च न्यायालय ।
11. भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय, नई दिल्ली ।
12. संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली ।
13. केन्द्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली ।
14. नीति आयोग, योजना भवन, नई दिल्ली ।
15. गृह मंत्रालय के सभी संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालय।
16. 5 अतिरिक्त प्रतियां।

G. B. S.

(देबोब्रतो बासु)

भारत सरकार के अवर सचिव

दूरभाष सं. 23092421

8

भारतीय झंडा संहिता, 2002 में निहित मुख्य दिशा-निर्देश

1. भारत का राष्ट्रीय ध्वज, भारत के लोगो की आशाओं और आकांक्षाओं का प्रतिरूप है यह हमारे राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है और सबके मन में राष्ट्रीय ध्वज के लिए प्रेम, आदर और निष्ठा है। यह भारत के लोगों की भावनाओं और मानस में एक अद्वितीय और विशेष स्थान रखता है।
2. भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का ध्वजारोहण/प्रयोग/संप्रदर्शन राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 और भारतीय ध्वज संहिता, 2002 द्वारा नियंत्रित है। भारत के ध्वज संहिता, 2002 में निहित कुछ मुख्य दिशा-निर्देश जनता की जानकारी के लिए नीचे सूचीबद्ध हैं:-
 - (क) भारतीय झंडा संहिता, 2002 को 30 दिसंबर, 2021 के आदेश द्वारा संशोधित किया गया और पॉलिएस्टर के कपडे से बने एवं मशीन द्वारा निर्मित राष्ट्रीय ध्वज की अनुमति दी गई। अब व्यवस्था है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज हाथ से काते गए और हाथ से बने हुए या मशीन द्वारा निर्मित, सूती/पॉलिएस्टर/ऊनी/सिल्क/खादी के कपडे से बनाया गया हो।
 - (ख) जनता का कोई भी व्यक्ति, कोई भी गैर-सरकारी संगठन अथवा कोई भी शिक्षा संस्था राष्ट्रीय झंडे को सभी दिनों ओर अवसरों, औपचारिकताओ या अन्य अवसरों पर फहरा/प्रदर्शित का सकता है, बशर्ते राष्ट्रीय झंडे की मर्यादा ओर सम्मान का ध्यान रखा जाये।
 - (ग) भारतीय झंडा संहिता, 2002 को 19 जुलाई 2022 के आदेश द्वारा संशोधित किया गया एवं भारतीय झंडा संहिता के भाग-II की धारा 2.2 (xi) को निम्नलिखित धारा से प्रतिस्थापित किया गया:-
 - (xi) "जहाँ झंडे का प्रदर्शन खुले में किया जाता है या जनता के किसी व्यक्ति द्वारा घर पर प्रदर्शित किया जाता है, वहां उसे दिन एवं रात में फहराया जा सकता है;"
 - (घ) राष्ट्रीय झंडे का आकर आयताकार होगा। यह किसी भी आकार का हो सकता है परन्तु झंडे की लम्बाई ओर ऊंचाई (चौड़ाई) का अनुपात 3 : 2 होगा।
 - (ङ) जब कभी राष्ट्रीय झंडा फहराया जाये तो उसकी स्थिति सम्मानजनक और पृथक होनी चाहिए।
 - (च) फटा हुआ और मैला-कुचैला झंडा प्रदर्शित नहीं किया जाये।
 - (छ) झंडे को किसी अन्य झंडे अथवा झंडो के साथ एक ही ध्वज-दंड से नहीं फहराया जाये।

(ज) संहिता के भाग-III की धारा-IX में उल्लिखित गणमान्यो जैसे राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल आदि, के सिवाय झंडे को किसी वाहन पर नहीं फहराया जायेगा।

(झ) किसी दुसरे झंडे या पताका को राष्ट्रीय झंडे से ऊँचा या उससे ऊपर या उसके बराबर में नहीं लगाना चाहिए।

नोट: अधिक जानकारी के लिए, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 और भारतीय झंडा संहिता, 2002, गृह मंत्रालय की वेबसाइट www.mha.gov.in पर उपलब्ध हैं।

MOST IMMEDIATE

No.2/5/2024-Public
Government of India/Bharat Sarkar
Ministry of Home Affairs/Grih Mantralaya

(T)
16

North Block, New Delhi
 Dated 10th August, 2024

To

2 AUG 2024

The Chief Secretaries of all State Governments and Administrators of all Union Territory Administrations

Subject: Independence Day Celebrations on 15th August, 2024 - Instructions

Sir/Madam,

Every year, the Independence Day is celebrated with grandeur, gaiety, fervour and enthusiasm. This year also, the Independence Day will be celebrated in a manner befitting the occasion.

2. The Independence Day Celebrations in Delhi shall consist of the following:-
 - (i) The Ceremony at Red Fort consisting of the presentation of a Guard of Honour by the Armed Forces and the Delhi Police to the Prime Minister (Pradhan Mantri), unfurling of the National Flag accompanied by singing of the National Anthem and firing of 21-Gun Salute, showering of flower petals by the helicopters of Indian Air Force, speech by the Prime Minister, singing of the National Anthem immediately after PM's speech, and release of tri-coloured balloons in the end.
 - (ii) "At Home" reception at Rashtrapati Bhawan.
3. The celebration of Independence Day Ceremony/unfurling of National Flag at State Capitals/ District Headquarters/ Sub-division/ Block / Gram Panchayat/Villages etc. should commence in the morning after 09:00 a.m.
4. The Independence Day in States/UTs may be celebrated as under:-
 - (a) **At State level**
 Unfurling of National Flag by the Chief Minister; singing of the National Anthem; presentation of Guard of Honour by the State Police/Para Military Forces/Home Guards/NCC/ Scouts; address to public by the Chief Minister followed by singing of National Anthem.

...2/-

(2)

(b) At District level

Unfurling of National Flag by Minister/Commissioner/District Magistrate; singing of National Anthem; parade by State Police personnel; Home Guards/NCC/Scouts followed by address to public by the Minister/ Commissioner/District Magistrate and singing of National Anthem.

(c) At Sub-Divisional level/Block level

Unfurling of National Flag by Sub Divisional Magistrate/Sub Divisional Officer/ Block Development Officer as the case may be; singing of National Anthem followed by address to public by the Sub Divisional Magistrate/Sub Divisional Officer/ Block Development Officer and singing of National Anthem.

(d) At Panchayat Headquarters/Villages

Unfurling of National Flag by the Sarpanch/Gram Pradhan; singing of National Anthem followed by address to public by the Sarpanch/Gram Pradhan and singing of National Anthem.

5. Swachh Bharat campaign in prominent locations

- (a) Identify most prominent location of each district in the State/UT and carry out a fortnight/ month long campaign to keep it Swachh through voluntary civil action. School students, NSS, NCC, youth organizations and social groups may be associated with this effort.
- (b) Plantation of Trees campaign be held by Government Departments and Educational Institutions to spread awareness for conservation of environment, thereby making a contribution to mitigate climate changes on Earth and preserve natural environment.

6. Ek Bharat Shreshtha Bharat Programme

On the lines of Republic Day Ceremony 2024, some food/cultural events etc. may be planned in the State Capitals/UTs on the occasion of Independence Day Ceremony. The State/UT should invite participation from five other States/UTs for their Independence Day ceremony. These Guest States may send their contingent for food/cultural events etc. to promote engagement among people of different States and UTs so as to enhance mutual understanding and bonding between people of these States/UTs.

...3/-



(3)

7. Efforts should be made by the States/UTs for propagating the patriotic/national integration messages and songs through the speech of the dignitaries, social media platforms etc. for Ek Bharat Shreshtha Bharat.

8. **'At Home' function**

(a) 'At Home' function at Governor/LG House may be commenced in the evening (after 18:00 hrs). This function represents a diverse set of invitees apart from usual protocol based invitees, on this occasion, the following indicative categories of guests could be invited:-

- Divyangjans
- Achievers in different fields
- People who made exemplary contribution to society, including during the time of Covid.
- Eco-warriors, people who performed exemplary for environmental conservation.
- Swacchagrahi.
- References from the State/UT in PM's Man ki Baat.
- Padma awardees from the State/UT.
- NoKs of martyrs.
- Participants/winners of Olympics and other important sports events of National/ International standards.
- Exceptional educators.
- Frontline health workers.
- Children bravery awardees.
- Women Sarpanches etc.
- Student toppers
- Best researchers/innovators

(b) At least 25-50 invites may be reserved for such achievers. The names of such invitees should be announced in advance to enable the invitees to prepare for the occasion.

(c) The majority of the gathering could be under the category of special invitees under different categories. A system whereby the invitee list is generated afresh every year should be instituted, so that the opportunity is given to a broad set of people. It could be considered that a person gets an invite just once.

...4/-

(4)

- (4)
- (d) Special attention may be paid to the band at Governor/LG House. It should play patriotic songs and not simply songs from movies. A system of competition among school bands should be instituted whereby the winners get to perform at the Governor House during 'At Home' reception.
 - (e) The invitation card for Governor/LG 'At Home' should be created in a way that these are treasured for life as souvenir by the invitees, marking it as a special occasion once in life.
 - (f) If some good innovation has been done by the State the same can be exhibited during the 'At Home' function.

Yours faithfully,



(Debobroto Basu)
Under Secretary to the Govt. of India
Tel: 011-23092421


CS

No.2/5/2024-Public

Dated 10th August, 2024Copy for information to:-

1. Secretaries of Governors/ Lt. Governors of all States/Union Territories
2. All Ministries/ Departments of the Govt. of India
3. President's Secretariat
4. Vice-President's Secretariat
5. Prime Minister's Office
6. Registrar, Supreme Court of India
7. Registrar, Delhi High Court
8. Cabinet Secretariat
9. Rajya Sabha Secretariat
10. Lok Sabha Secretariat
11. NITI Aayog, Sansad Marg, New Delhi.
12. Election Commission of India
13. Union Public Service Commission
14. Office of Comptroller & Auditor General of India
15. Central Vigilance Commission
16. University Grants Commission
17. National Commission for SCs
18. National Commission for STs
19. National Commission for Backward Classes
20. National Commission for SafaiKaramcharis
21. National Commission for Minorities
22. National Commission for Women
23. National Human Rights Commission
24. Manager, State Bank of India, Parliament Street, New Delhi
25. Manager, Reserve Bank of India, New Delhi
26. All attached & subordinate offices of the Ministry of Home Affairs located at Delhi/New Delhi
27. Ad.III Section, MHA

Spare Copies-5



(Debobroto Basu)

Under Secretary to the Govt. of India

Tel: 011-23092421

अति तत्काल

सं.2/5/2024-पब्लिक
भारत सरकार
गृह मंत्रालय

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
दिनांक 10 अगस्त, 2024

सेवा में,

सभी राज्य सरकारों के मुख्य सचिव और सभी संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक

विषय: 15 अगस्त, 2024 को स्वतंत्रता दिवस समारोह के संबंध में अनुदेश

महोदय/महोदया,

प्रति वर्ष स्वतंत्रता दिवस भव्यता, उल्लास, उमंग और उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस वर्ष भी, स्वतंत्रता दिवस को समुचित ढंग से मनाया जाएगा।

2. दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस समारोह में निम्नलिखित कार्यक्रम होंगे:

(i) लाल किले पर समारोह जिसमें सशस्त्र बलों और दिल्ली पुलिस द्वारा प्रधानमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर, राष्ट्रगान के साथ राष्ट्रीय ध्वज फहराना और 21 तोपों की सलामी, भारतीय वायु सेना के हेलीकॉप्टरों से पुष्प वर्षा, प्रधानमंत्री का अभिभाषण, प्रधानमंत्री के अभिभाषण के तुरंत बाद राष्ट्रगान और अंत में तीन रंगों के गुब्बारे उड़ाना शामिल हैं।

(ii) राष्ट्रपति भवन में "एट होम" समारोह।

3. राज्य की राजधानियों/जिला मुख्यालयों/उपमंडल/प्रखण्ड/ग्राम पंचायत/गांवों आदि में स्वतंत्रता दिवस समारोह/राष्ट्रीय ध्वज फहराने का आयोजन प्रातः 09:00 बजे के बाद शुरू किया जाना चाहिए।

4. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन निम्नानुसार किया जाए:-

(क) राज्य स्तर पर

मुख्यमंत्री द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराना; राष्ट्रगान; राज्य पुलिस/अर्धसैनिक बलों/ होमगार्ड/ एनसीसी/ स्काउट्स द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर की प्रस्तुति; मुख्यमंत्री द्वारा जनता को संबोधन और उसके बाद राष्ट्रगान।

(ख) जिला स्तर पर

मंत्री/आयुक्त/जिला मजिस्ट्रेट द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराना; राष्ट्रगान; राज्य पुलिस कर्मियों/ होमगार्ड/ एनसीसी/ स्काउट्स द्वारा परेड; उसके बाद मंत्री/आयुक्त/जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जनता को संबोधन और राष्ट्रगान।

...2/-

(ग) उपमंडल स्तर/प्रखण्ड स्तर पर

उपमंडल मजिस्ट्रेट/उपमंडल अधिकारी/प्रखण्ड विकास अधिकारी, जैसा भी मामला हो, द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराना; राष्ट्रगान और उसके बाद उपमंडल मजिस्ट्रेट/उपमंडल अधिकारी/प्रखण्ड विकास अधिकारी द्वारा जनता को संबोधन और राष्ट्रगान।

(घ) पंचायत मुख्यालय/ग्राम स्तर पर

सरपंच/ग्राम प्रधान द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराना; राष्ट्रगान और उसके बाद सरपंच/ग्राम प्रधान द्वारा जनता को संबोधन और राष्ट्रगान।

5. प्रमुख स्थानों पर स्वच्छ भारत अभियान

(क) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के प्रत्येक जिले के सबसे प्रमुख स्थान की पहचान करें और स्वैच्छिक नागरिक सहयोग द्वारा इसे स्वच्छ रखने के लिए पंद्रह दिन/एक महीने का अभियान चलाएं। इस प्रयास में स्कूली छात्रों, एनएसएस, एनसीसी, युवा संगठनों और सामाजिक समूहों को जोड़ा जा सकता है।

(ख) पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता के प्रसार के लिए सरकारी विभागों और शैक्षिक संस्थानों द्वारा वृक्षारोपण अभियान चलाया जाए, ताकि पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने और प्राकृतिक पर्यावरण को संरक्षित करने में योगदान दिया जा सके।

6. एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम

गणतंत्र दिवस समारोह 2024 के अनुरूप, स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर राज्य की राजधानी/संघ राज्य क्षेत्रों में कुछ खानपान/सांस्कृतिक कार्यक्रमों आदि की योजना बनाई जा सकती है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को अपने स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए पांच अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को भागीदारी के लिए आमंत्रित करना चाहिए। ये अतिथि राज्य विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लोगों के बीच मेलजोल को बढ़ावा देने के लिए खानपान/सांस्कृतिक कार्यक्रमों आदि के लिए अपने दल भेज सकते हैं ताकि इन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लोगों के बीच आपसी समझ और संबंधों को बढ़ाया जा सके।

7. एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए गणमान्य व्यक्तियों के भाषण, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आदि के माध्यम से देशभक्ति/राष्ट्रीय एकता के संदेशों और गीतों के प्रचार-प्रसार के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा प्रयास किए जाएं।

...3/-

8. 'एट होम' समारोह

(क) राज्यपाल /उपराज्यपाल निवास में 'एट होम' समारोह सायंकाल (सांय 18:00 बजे के बाद) शुरू किया जा सकता है। इस समारोह में सामान्य प्रोटोकॉल आधारित आमंत्रितों के अलावा अलग-अलग श्रेणी के लोगों को आमंत्रित किया जाता है, इस अवसर पर निम्नलिखित सांकेतिक श्रेणियों से संबंधित अतिथियों को आमंत्रित किया जा सकता है: -

- दिव्यांगजन
- विभिन्न क्षेत्रों के सफल व्यक्ति
- समाज के लिए अनुकरणीय योगदान देने वाले लोग, जिनमें कोविड के दौरान योगदान करने वाले व्यक्ति शामिल हैं।
- पर्यावरण-योद्धा, पर्यावरण संरक्षण के लिए अनुकरणीय प्रदर्शन करने वाले लोग।
- स्वच्छाग्रही।
- प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के उल्लिखित व्यक्ति।
- राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के पद्म पुरस्कार विजेता।
- शहीदों के निकटतम परिजन।
- ओलम्पिक और राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण अन्य खेलों के प्रतिभागी/विजेता।
- असाधारण शिक्षक/शिक्षाविद्।
- फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कार्यकर्ता।
- बहादुरी पुरस्कार विजेता बच्चे।
- महिला सरपंच आदि।
- अव्वल आने वाले छात्र
- सर्वश्रेष्ठ शोधकर्ता/नवान्वेषक

(ख) कम से कम 25-50 आमंत्रण ऐसे सफल लोगों के लिए आरक्षित किए जा सकते हैं। ऐसे आमंत्रितों के नामों की घोषणा पहले ही कर दी जानी चाहिए ताकि आमंत्रित लोग इस अवसर के लिए तैयारी कर सकें।

(ग) अधिकांश लोग विभिन्न श्रेणियों के तहत विशेष आमंत्रितों की श्रेणी के अंतर्गत हो सकते हैं। हर साल नए सिरे से आमंत्रित लोगों की सूची तैयार करने की व्यवस्था शुरू की जानी चाहिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों को अवसर दिया जा सके। यह विचार किया जा सकता है कि एक व्यक्ति को एक बार ही आमंत्रण मिले।

(घ) राज्यपाल/उपराज्यपाल निवास में बैंड पर विशेष ध्यान दिया जा सकता है। उसे देशभक्ति के गीत बजाने चाहिए, न कि केवल फिल्मी गाने। स्कूली बैंडों के बीच एक प्रतियोगिता शुरू की जानी चाहिए, जिसके विजेताओं को 'एट होम' समारोह के दौरान राज्यपाल निवास में प्रदर्शन करने का मौका मिले।

...4/-

- (ड.) राज्यपाल/उपराज्यपाल 'एट होम' के लिए निमंत्रण कार्ड इस प्रकार से बनाया जाना चाहिए कि आमंत्रित लोग इसे जीवन में एक बार आने वाले अवसर मानते हुए स्मृति चिह्न के रूप में जीवन भर के लिए संजोकर रखें।
- (च) यदि राज्य द्वारा कोई श्रेष्ठ नवान्वेषण किया गया है तो उसे 'एट होम' समारोह के दौरान प्रदर्शित किया जा सकता है।

भवदीय,

५०९५७

(देबोब्रोतो बासु)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष: 011-23092421

10

सं.2/5/2024-पब्लिक

दिनांक 10 अगस्त, 2024

सूचनार्थ प्रति:-

1. सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के राज्यपाल/ उपराज्यपाल के सचिव
2. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग
3. राष्ट्रपति सचिवालय
4. उप राष्ट्रपति सचिवालय
5. प्रधानमंत्री कार्यालय
6. रजिस्ट्रार, भारत का उच्चतम न्यायालय
7. रजिस्ट्रार, दिल्ली उच्च न्यायालय
8. मंत्रिमंडल सचिवालय
9. राज्य सभा सचिवालय
10. लोक सभा सचिवालय
11. नीति आयोग, संसद मार्ग, नई दिल्ली
12. भारत का निर्वाचन आयोग
13. संघ लोक सेवा आयोग
14. भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय
15. केंद्रीय सतर्कता आयोग
16. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
17. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग
18. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
19. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग
20. राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग
21. राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग
22. राष्ट्रीय महिला आयोग
23. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग
24. प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, संसद मार्ग, नई दिल्ली
25. प्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक, नई दिल्ली
26. दिल्ली/नई दिल्ली में स्थित गृह मंत्रालय के सभी संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालय
27. प्रशासन III अनुभाग, गृह मंत्रालय

अतिरिक्त प्रतियां -5

9.08.24

(देबोब्रतो बासु)

अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: 011-23092421